परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.-** राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप-नियम (1) में विद्यमान खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

> ''(ट) ''क्रय कीमत'' से किसी विनिर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा कीमत में दिये गये किसी डिस्काउण्ट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए, समस्त करों और उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथा दर्शित एक्स-शोरूम कीमत अभिप्रेत है।''

3. **नियम 26-क का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 26-क के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''तीन मास'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''छः मास'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 22 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- In sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, hereinafter referred to as the said rules, the existing clause (k) shall be substituted by the following, namely:-

"(k) "**Purchase price**" means ex-showroom price inclusive of all taxes and levies as shown in the purchase bill excluding any discount, rebate or concession in price given under any promotional scheme or otherwise by any manufacturer or dealer."

3. Amendment of rule 26-A.- In sub-rule (1) of rule 26-A of the said rules, for the existing expression "three months", the expression "six months" shall be substituted.

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/1]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government